

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7 1(2)(2)राछा/सान्याअवि/20/663

जयपुर, दिनांक 30/07/2020

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 28492 दिनांक 18.5.2020 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यालय स्तरीय छात्रावासों की अन्तिम तिथि 30 जुलाई 2020 एवं महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों की अन्तिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई थी।

राजकीय छात्रावासों में प्रवेश की समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान प्रवेश में कमी को देखते हुए राजकीय एवं अनुदानित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 जुलाई 2020 को बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 एवं राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों की अन्तिम तिथि 15 अगस्त 2020 से बढ़ाकर 15 सितम्बर की जाती है।

इसी प्रकार राजकीय एवं अनुदानित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों एवं राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों की वरीयता सूची निम्नानुसार जारी की जावेगी :-

जारी होने वाली सूची	पूर्व में नियत दिनांक	प्रस्तावित नियत दिनांक
चतुर्थ सूची		14 अगस्त 2020
पंचम सूची		31 अगस्त 2020
महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास हेतु	16 अगस्त 2020	16 सितम्बर 2020

(ओम प्रकाश बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ7 1(2)()राछा/सान्याअवि/20/664-74

जयपुर, दिनांक 30/07/2020

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर (समस्त)
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करने का श्रम करारें।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
8. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास।
9. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
10. आदेश पत्रावली।

(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)